कार्यालय जनपद पंचायत पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (ख) 17 बिन्दु की जानकारी

(i)	अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य	राज्य शासन द्वारा जारी नीति–निर्देश तथा पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 50 के तहत समयबद्ध कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	राज्य शासन द्वारा अपने अधिकारी, कर्मचारियों के लिये बनाये गये सिविल सेवा आचरण एवं अपील वर्गीकरण नियम 1961 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य तथा ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां एवं कृत्य पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 72 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाता है।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	राज्य शासन द्वारा जारी नीति–निर्देश तथा पंचायत राज अधिनियम में प्रावधानित नियमों के तहत विनिश्चय करने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	राज्य शासन द्वारा जारी नीति–निर्देश तथा पंचायत राज अधिनियम में प्रावधानित नियमों के तहत अपने कृत्यों के निर्वहन किया जाता है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	राज्य शासन द्वारा जारी नीति–निर्देश तथा पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 70 में प्रावधानित नियमों के तहत अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी से कर्तव्यों का निर्वहन कराया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	दस्तावेजों का पंचायत स्तर में सचिव द्वारा तथा जनपद स्तर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.सेवा) द्वारा धारित दस्तावेज का नियंत्रण मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं	व्यवस्था की विशिष्टियां की दृष्टिकोण से जनता के द्वारा निर्वाचित एवं जनपद पंचायत स्तर पर गठित जनपद सभा/जनपद स्थाई समितियों में पारित निर्णय जो अधिनियम में प्रावधानित है के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है।

(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगीं	ग्राम पंचायत में वर्ष में चार बार ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जो सीधे जनता के लिये खुला होता है जिसमें शासन द्वारा निर्धारित एजेंडा जनता के समक्ष रखा जाता है तथा स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा अपना सुझाव–विचार भी रखा जाता है तथा जनपद पंचायत स्तर पर जनपद सभा एवं स्थाई समितियों का गठन किया गया है, जिसका समय–समय पर बैठक आहुत कर शासन द्वारा जारी नीति निर्देश एवं पंचायतराज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही की जाती है जिसमें जनता की सीधा पहुंच नहीं होती।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	राज्य शासन द्वारा अधिकारी, कर्मचारियों के लिये बनाये गये सिविल सेवा नियम तथा पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रावधानित नियमों का अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को पालन सुनिश्चित कराया जाता है।
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी को राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान भुगतान किया जाता है तथा राज्य शासन के नियम निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों से प्रतिकर कटौती की कार्यवाही की जाती है।
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	राज्य शासन द्वारा अपने प्रत्येक अभिकरण को बजट आबंटित किया जाता है तथा नियमानुसार योजनाओं पर व्यय किया जाता है तथा किये गये व्ययों की रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	राज्य शासन द्वारा बनाये गये नीति–निर्देशों के तहत सहायिकी कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाता है तथा आबंटित राशि का राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित कराया जाता है। हितग्राही मूलक योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2017–18 में 1878 हितग्राहियों को, विभिन्न पेंशन योजना के तहत 10523 हितग्राही, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 45 हितग्राही तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में 315 स्वसहायता समूहों को उनके आर्थिक सुदृकरण हेतु लाभान्वित कराया गया है।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	राज्य शासन द्वारा बनाये गये नीति–निर्देशों में किसी प्रकार का अनुदत्त रियायत जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया ळें

(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	शासन द्वारा चलाये गये समस्त योजनाओं को वरिष्ठ कार्यालय एवं सर्व साधारण की जानकारी के लिये ऑन लाईन किया जाता है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	ग्राम पंचायत स्तर में आम जनता की सूचना के लिये वाचनालय स्थापित किया गया है जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र की व्यवस्था है तथा जनपद पंचायत स्तर में किसी प्रकार की पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक सचिव को पदेन लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसे पंचायत स्तर में ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्राप्त करने का नियम तथा अपीलीय अधिकारी का नाम प्रदर्शित कराया गया है इसी तरह जनपद पंचायत स्तर में जनसूचना अधिकारी सुश्री ऋषा ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर (रा.प्र.से.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन जनसूचना अधिकारी तथा उनके सहायक जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम प्रदर्शित सूचना पटल पर कराया गया है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा	ऐसी सूचना जो विहित किया गया है, जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से एकत्रित कर वर्ष में वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं पदेन जनसूचना अधिकारी
जनपद पंचायत पामगढ़